उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-5
संख्या-637/नौ-5-2017-352सा/16
लखनऊ :: दिनांक 23 फरवरी, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 08 अप्रैल, 2016 द्वारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल, 2016 का प्राख्यापन किया गया है। उक्त नियम में के उप नियम-11 के अन्तर्गत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में शहरी विकास के प्रभारी सचिवों के कर्तव्यों को निर्धारण किया गया है, जिसके नियम-11(1)'क' के अन्तर्गत शहरी विकास के प्रभारी सचिव को एक वर्ष की अवधि के भीतर शहरी विकास मंत्रालय को राष्ट्रीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नीति और राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति के अनुरूप राज्य की नीति एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन रणनीति/कार्य-योजना तैयार की जानी है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स 2016 के क्रियान्वयन के संबंध में मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा ओए संख्या-199/2014 अलमित्रा एच पटेल एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में लगातार अनुश्रवण किया जा रहा है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स 2016 के अन्तर्गत नियम-11 तथा नियम-15 के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाहियों में सहयोग हेतु क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ के पत्र संख्या-यूआरसी/1933/24/2016-17 दिनांक 15.02.2017 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है, जिसका सारांश निम्नवत् है-

क्रमांक	विवरण	सहयोग हेतु वांछित धनराशि (लाख रूपए में)
1	ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 नियम-11 के अन्तर्गत राज्य स्तर पर सहयोग प्रदान किये जाने हेतु, जिसमें राज्य की नीति एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की कार्य-योजना तैयार किया जाना सम्मिलित है	2.00 लाख
2	ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 नियम-15 के अन्तर्गत निकायों को सहयोग प्रदान किये जाने हेतु,	नगर निगम : 1.00 लाख प्रत्येक नगर पालिका परिषद् : 0.50 लाख प्रत्येक नगर पंचायत : 0.25 लाख प्रत्येक

2- उक्त प्रस्ताव के संदर्भ में सम्यक् विचारोपरान्त एतद् द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 के नियम-11 के अन्तर्गत राज्य स्तर पर सहयोग प्रदान किये जाने हेतु, जिसमें राज्य की नीति एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की कार्य योजना तैयार किया जाना भी सम्मिलित है, हेतु क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ के प्रस्तावानुसार सहयोग प्रदान किये जाने हेतु निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है-

(1) सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स, 2016 के अन्तर्गत राज्य स्तर पर राज्य की नीति और ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नीति केन्द्र द्वारा समयबद्ध रूप से तैयार की जायेगी। केन्द्र द्वारा निदेशक, नगर निकाय, उ0प्र0 की देख-रेख/पयर्वेक्षण में राज्य की नीति मार्च, 2017 तक अवश्य बना ली जायेगी।

(2) केन्द्र द्वारा अन्य समस्त कार्यवाहियां प्रस्तावानुसार की जायेगी।

(3) राज्य स्तर पर सहयोग हेतु प्रस्तावित धनराशि रूपए 2.00 लाख (रूपए दो लाख मात्र) का भुगतान निदेशक, नगर निकाय, उ0प्र0 द्वारा सुसंगत मद/अन्य व्यय से किया जायेगा।

(4) निकायों हेतु की जाने वाली कार्यवाहियों के संदर्भ में केन्द्र के प्रस्ताव पर निर्णय निदेशक, नगर निकाय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा लिया जायेगा।

संलग्नकः यथोक्त(प्रस्ताव)।

(डा0 अनिल कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

<u>संख्या-637(1)/नौ-5-2017 तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय/शहरी विकास मंत्रालय/ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।

2- केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली।

3- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

4- अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

5- सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उ0प्र0 लखनऊ।

6- निदेशक, नगर निकाय, उ.प्र., लखनऊ

7- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।

8- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

9- समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।

10- समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।

11- प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।

12- निदेशक, सी. एण्ड डी.एस. उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।

13- निदेशक/अपर निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।

14- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।